भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2186

गुरूवार, 06 अगस्त, 2026/15 श्रावण,1948 (शक)

श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन में विलंब

2186. श्री इमरान प्रतापगढ़ी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कई वर्ष पूर्व ही अधिनियमित किए जाने के बावजूद श्रम संहिताएं अभी तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हुई हैं;

(ख) इस विलंब के राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनके क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) इस अंतरिम अवधि के दौरान श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं (ओएसएचएंडडब्ल्यूसी) संहिता, 2020 को दिनांक 21 नवम्बर, 2025 से लागू किया है। उक्त श्रम संहिताओं के अधीन केंद्रीय नियम 8 मई, 2026 को अधिसूचित किए जा चुके हैं।

चूंकि 'श्रम' संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, अतः राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा भी श्रम संहिताओं के अधीन नियम बनाए जाना अपेक्षित है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं और श्रम संहिताओं के अधीन नियमों को अंतिम रूप दे दिया है अथवा उनका प्रकाशन/पूर्व-प्रकाशन कर दिया है। तथापि, कुछ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अभी भी नियमों के पूर्व-प्रकाशन अथवा उन्हें अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं।

संहिताओं के वे उपबंध, जिनके लिए किसी नियम की अधिसूचना अपेक्षित नहीं है, पहले से ही लागू हैं। तथापि, राज्यों में परिवर्तन अवधि के दौरान निरसित अधिनियमों के अधीन विद्यमान नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ, मानक तथा योजनाएँ, जहाँ तक वे नई श्रम संहिताओं के उपबंधों के साथ असंगत नहीं हैं, प्रभावी बने रहेंगी जिससे इनकी निरंतरता सुनिश्चित होगी तथा किसी प्रकार की विधिक शून्यता उत्पन्न नहीं होगी।
